रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 1985/पौष 17, 1906
No. 7] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 1985/PAUSA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना स 78 आईटीसी (पीएन)/84-85

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1985

विषय —अप्रेल, 1984—मार्च, 1985 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. सं. 1/23/पी/आरईपी/74-ईपीसी —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 18-आईटीसी (पीएन)/84, दिनांक 12-4-1984 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1984—मार्च, 1985 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) 1984-85 की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	262	परिशिष्ट-17 क्रम सं. त. 3.2 कालम 4 तथा 5	(1) कालम 4 में निम्नलिखित प्रविष्टि को (ग) के रूप में जोड़ा जाएगा :— "(ग) टम्बल्ड/ब्रोकन/स्लाइस्ड/डैमेज्ड रूप में अपरिष्कृत कम बहुमूल्य रत्न"। (2) कालम 5 मे निम्नलिखित को टिप्पणी (2) के रूप में जोड़ा जाएगा:— "(2) टम्बल्ड/ब्रोकन/स्लाइस्ड/डैमेज्ड अपरिष्कृत कम बहुमूल्य रत्नों मे प्राप्त किए गए कम बहुमूल्य रत्नों के निर्यात के संबंध में, प्रतिपूर्ति बजाए 65% के 60 % होगी।"

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 78-ITC (PN)/84-85

New Delhi, the 7th January, 1985

Subject : Import & Export Policy for April, 1984—March, 1985

F. No. 1/24/P/REP/74-EPC :—Attention is invited to Import and Export Policy for April, 1984—March, 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	262	Appendix 17 Sl. No. P. 3.2 Columns 4 &5	(1) The following entry shall be added as (c) in Column 4 :— "(c) Rough semi-precious stones in tumbled / broken / sliced/ damaged form." (2) The following shall be added as remarks (2) in Column 5 :— "(2) In respect of exports of semi-precious stones from tumbled/ broken/sliced/damaged rough semi-precious stones, the replenishment will be 60% instead of 65%."

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985